









# जिला में सुनिश्चित की जाए प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट प्रॉपर्टी एक्ट की पालना : जिलाधीश नेहा सिंह

समाचार गेट/सचिन भारद्वाज

होड़ल। जिला अधिकारी नेहा सिंह ने चुनाव अवधि के दौरान दंड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजनीतिक दलों द्वारा दीवार लेखन, पोस्टर/कागज चिपकाना, कटआउट को छाड़ा करना आदि के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिलाधीश नेहा सिंह ने सभी विधायियों के विधायिकाओं को डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की सख्त से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि वे अपने-अपने कार्यालय परिसर में डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को पालना सुनिश्चित कर। उन्होंने दिशा दिए हैं कि सरकारी/अर्द्ध सरकारी संस्थानों पर किसी प्रकार का कोई राजनीतिक संदेश/हाइडिंग/पोस्टर/चाल पेट्रिंग



यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी व्यक्तिगत भूमि, भवन, परिसर, दीवार आदि पर वे स्थान या उनके समर्थकों द्वारा छाँड़े, बैनर, नोटिस न लगाए जाएं तथा स्तोगन न लिखे जाएं। ऐसा करना संपर्कत के प्रतिरूपण के तहत आता है तथा इसका दोषी पालने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 425, 426, 427 व 433 एवं दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 133 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा संर्वोच्च व्यक्ति के खिलाफ हरियाणा सम्पर्कत प्रतिरूपण रोकथाम अधिनियम एवं नगर पालिका कानूनों के तहत भी कार्रवाई होगी। जिला प्रशासन द्वारा सम्पर्कत प्रतिरूपण के मामलों में प्रचार सामग्री हटाने पर होने वाले राजनीतिक पार्टियों, संगठनों, उम्मीदवारों डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की पालना करें। उम्मीदवार अथवा संर्वोच्च व्यक्ति से वसूलें।

## होली पर्व के मद्देनजर किए व्यापक पुलिस प्रबंध, होली पर हुड़दंग किया तो खैर नहीं : डॉ अंशु सिंगला

समाचार गेट/सचिन भारद्वाज

होड़ल। जिला पुलिस अधीक्षक डॉ अंशु सिंगला ने जानकारी देते समाज और देश के विकास में नशा सबसे बड़ी बाधा है। नशा की समस्या हुए बताया कि होली व धूलहँड़ी पर्व के मध्यन्तर जिला पुलिस अधीक्षक पलवल डॉ अंशु सिंगला, आईपीएस के अंतर्गत नियमावली जिले में सुनौरी बर्ती जा रही है। सभी थाना व चौकी प्रभारियों को समर्कता के साथ अपने-अपने क्षेत्र में कार्य करने के अदेश जारी किया गया है। जिला उपायुक्त महादेव द्वारा भी दूसरी मिज़स्ट्रेटों को नियुक्त किया गया है। जिनसे हर संपर्क साधकर रस्तियां पर नियन्त्रण रखा जाएगा। होली पालन पर्व के अवधि पर पुलिस अधीक्षक डॉ अंशु सिंगला ने जिला वासियों को बहुत सुधकमान देते हुए कहा है। लोग



कि नशे से युवा बर्बाद हो रहा है और सभी बड़े बच्चे भी नशा से बचना चाहते हैं। नशा की समस्या एक सामाजिक समस्या है इसलिए समाज के सभी लोगों को पलवल नशा मुक्त अभियान में अहम भूमिका निभानी होगी। उन्होंने अमजन से आहवान किया है कि होली पर नशे जैसी बुराई का दहन कर पूरी तरह नशा मुक्त एवं अपराध मुक्त समाज बनाने की शपथ ले।

**नशे का सामान बेचने वालों पर होली सख्त कार्रवाई**

जिला पुलिस द्वारा नशा तस्करों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। इस संबंध में सभी थाना प्रभारियों कड़े निर्देश दिए गए हैं कि वे होली के पर्व को देखते हुए नशा तस्करों पर कड़ी नजर रखी जाए। इसी के साथ सभी थाना प्रभारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि वे मेंडिकल सचालकों की बैठक लेकर उन्हें स्पष्ट निर्देश दें कि वह किसी भी सूरत में मेंडिकल से जुड़ा नशे का सामान न बेचें। लोग

नशा बेचने वालों की सूचना हेल्पलाइन नंबर 1800-120-7229 पर दें सकते हैं, ताकि पुलिस लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। सूचना देने वालों का नाम पुलिस पूरी तरह से गुप्त रखेगी। जिला पुलिस अधीक्षक डॉ अंशु सिंगला द्वारा सभी थाना प्रबंधक व चौकी प्रभारियों को अदेश जारी किए गए हैं कि सद्भाव से शरारती तत्व व अफवाहों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखें। स्वयं अपने-अपने इलाके में पड़ने वाले मुख्य बाजार, चौक-चौराहे, सूचना तुरंत पुलिस को दें।

# FUTURE CAR

DRIVE YOUR DREAMS

ROHIT VERMA

9891124671

**PURCHASE****SALE****INSURANCE****EXCHANGE****FINANCE**

NEAR RAMA DOORS, OPP CNG STATION  
BYPASS ROAD, SECTOR-9 FARIDABAD

## लोकसभा चुनाव को शातिपूर्ण माहौल में संपन्न करवाने के लिए जिला पुलिस व पैरामिलिट्री फोर्स ने निकाला पलैग मार्च

समाचार गेट/सचिन भारद्वाज

होड़ल। जिला पुलिस अधीक्षक डॉ अंशु सिंगला के कुशल निर्देश में 25 मार्च 2024 को आगामी लोकसभा चुनाव-2024 को शातिपूर्ण ढांग से संपन्न करवाने के लिए शुक्रवार को पलवल पुलिस व पैरामिलिट्री की संयुक्त टीमों ने मिलकर पलवल के क्षेत्र में पलैग मार्च निकाला। लोकसभा चुनाव को देखते हुए पलवल पुलिस ने पैरामिलिट्री फोर्स के संयुक्त टीमों ने मिलकर पलवल के क्षेत्र में पलैग मार्च निकाला। लोकसभा चुनाव को देखते हुए पलवल पुलिस व पैरामिलिट्री फोर्स के संयुक्त टीमों ने मिलकर पलवल के क्षेत्र में पलैग मार्च निकाला। लोकसभा चुनाव को देखते हुए पलवल पुलिस ने पैरामिलिट्री फोर्स के संयुक्त टीमों ने मिलकर पलवल के क्षेत्र में पलैग मार्च निकाला। लोकसभा चुनाव को देखते हुए पलवल पुलिस व पैरामिलिट्री फोर्स की टीम आगामी लोकसभा चुनाव को शातिपूर्ण ढांग से संपन्न करवाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। पलैग मार्च के जरिए ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के साथ भयमुक्त मतदान करने का संदेश दिया गया है इस दौरान जिला पुलिस लाइन प्रबंधक इंस्पेक्टर मलखान सिंह, चौकी बस अड्डा प्रभारी उप नियंत्रक सुरेश कुमार सहित आइटीबीपी की कंपनी मैजूद रही।



## अवैध शराब तस्करों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए 3 शराब तस्करों को किया गिरफ्तार

समाचार गेट/सचिन भारद्वाज

होड़ल। जिला पुलिस अधीक्षक डॉ अंशु सिंगला, पुलिस अधीक्षक पलवल के कुशल निर्वाचन में जिला पुलिस द्वारा एक विशेष अभियान शराब तस्करी पर प्रदान करते हुए अवैध शराब तस्करों की धरपाल के संबंध में चलाया हुआ है। इसी मुहिम के अंतर्गत दिनांक 20 मार्च 2024 को क्राइम ब्रांच पलवल प्रभारी नियंत्रक उम्र मोहम्मद की टीम में तैनात होड़ कांस्टेबल मनोज कुमार ने विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त सूचना के आधार पर आपने सदर पलवल क्षेत्र अंतर्गत गांव दीवोट निवासी युवक को अपने घर के नीचे प्लास्टिक ट्रिपाल के निचे रखकर शराब बेचते दबोचते में कामयाबी हासिल की। आरोपी से 160.5 बोतल देसी अवैध शराब, 135.5 बोतल देसी अवैध शराब, 135 बोतल बियर कुल 32 पैटी शराब बरामद की। वहीं दूसरे मामले में क्राइम ब्रांच होड़ल में तैनात होड़ कांस्टेबल सुन्दर ने थाना होड़ल क्षेत्र अंतर्गत गढ़ी मोड़ होड़ल से एक आरोपी को 47 पव्वा अवैध देसी शराब मार्का मस्ताना सहित काबू किया। उपरोक्त पट्टी होड़ल से एक आरोपी को 44 पव्वा अवैध देसी शराब मार्का मस्ताना सहित काबू किया। उपरोक्त मामलों में आरोपियों के विरुद्ध पंजीबीकर कार्यवाही अमल में लाइन जारी है।



## चुनाव के दौरान लाउडस्पीकरों के उपयोग को लेकर जिलाधीश धीरेंद्र खड़गटा ने दिए आवश्यक टिशा-निर्देश

समाचार गेट/अनिल मोहनियां

नूह। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने भारत के चुनाव आयोग के निर्देशों और जिला नूह में चुनाव अभियानों के लिए लाउडस्पीकरों के उपयोग के संबंध में जरूरी दिशा-निर्देश जारी किया है। उन्होंने आदेशों में कहा है कि चुनाव अवधि के दौरान लाउडडील्स की उपयोग को पूरी तरह से नहीं रोका जा सकता है, लेकिन उपयोग समय में और विषय स्थानों पर बहुत अधिक व्यक्ति पर लाउडस्पीकर का उपयोग से शांति प्रभावित होती है, जिससे लोगों को परेशानी होती है। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के दौरान चुनाव आयोग के निर्देशनुसार जिला में लाउडस्पीकरों के उपयोग को सख्ती से विवरणित किया जाए। उन्होंने दिया है कि सार्वजनिक दलों, उम्मीदवारों और संबोधन प्रणाली या लाउडस्पीकर का उपयोग यहां तक कि किसी भी व्यक्ति को चलती गाड़ी या किसी निश्चित स्थान अथवा कोई भी व्यक्ति एम्प्लीकेयर, अदार्श आचार संहिता के उपयोग करने की स्थिति में संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।

गहनों पर लाउडस्पीकर लगाने से पूर्व अनुमति लेनी जरूरी।

सख्ती से करना होगा नियमों का पालन, अन्यथा होगी कार्यवाही।



**RAMA SALES CORPORATION**  
AUTH. DEALER  
**JANATICS** AUTH. DEALER  
■ AIR PREPARATION UNITS





